© IJARW | ISSN (O) - 2582-1008
September 2026 | Vol. 8 Issue. 3
www.ijarw.com

भारत की आर्थिक वृद्धि में जीएसटी की भूमिका: एक वर्णनात्मक अध्ययन

रमेश कुमार शर्मा

सहायक आचार्य, एबीएसटी (वाणिज्य), सेठ आर.एन. रुईया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी

सारांश

वस्तु एवं सेवा कर को भारत में वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर लागू किया गया। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं एकीकृत बनाकर भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। इससे कर चोरी में कमी तथा राजस्व संग्रहण में वृद्धि की अपेक्षा की गई। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। शोध पत्र में अध्ययन हेतु वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जो विभिन्न वेबसाइट्स, जीएसटी काउंसिल, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से संकलन किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में जीएसटी संग्रहण और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। इसके अलावा अध्ययन में डिजिटल कर प्रणाली, ई-इनवॉइसिंग तथा जीएसटी (GSTIN) नेटवर्क के प्रभावी उपयोग से कर अनुपालन में क्या सुधार हुआ है तथा इससे जीएसटी संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ा है के संबंध में भी प्रकाश डाला गया है।.

बीज शब्द: जीएसटी, आर्थिक वृद्धि, जीडीपी, कर संग्रहण, भारत की अर्थव्यवस्था, अप्रत्यक्ष कर

1. परिचय

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक वृद्धि,राजस्व सर्जन, और कर प्रणाली कि प्रभावशिलता का विशेष महत्व है, क्योंकि करो के माध्यम से सरकार को विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं। भारत में एक लंबे समय से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जटिलता, बहु-चरण संबंधित समस्या और असमानता रहि, जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे। इस कारण व्यापार में बाधा, लागत में वृद्धि और करो का दोहराव जैसी समस्या उत्पन्न होती थी। इन समस्याओं के निवारण हेतु भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर आदि को समाप्त कर एक एकीकृत कर प्रणाली लागू करना था। जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के आधार पर लागू किया गया। जीएसटी को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संवर्धन के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है, यह एक गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल अपनाया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के भीतर के व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा CGST और राज्य सरकार द्वारा SGST लगाया जाता है जबकि अंतर-राज्य व्यापार पर IGST लगाया जाता है। इस व्यवस्था से कर संग्रहण को अधिक पारदर्शी और उतरदायी बनाया गया हैं। आर्थिक रूप से जीएसटी का उद्देश्य केवल कर संग्रहण नहीं है, बल्कि कर व्यवस्था को आसान बनाकर व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना,असंगठित क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था से जोड़ना और उत्पादन लागत को कम करना भी है। इसके अलावा ई-वे बिल, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना जैसे डिजिटल तकनीक पर आधारित जीएसटी प्रणाली से कर अनुपालन में सुधार हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रहण में निरंतर वृद्धि हुई है इस कारण भी भारत की आर्थिक वृद्धि में जीएसटी की भूमिका को समझना आवश्यक है। तथा जीएसटी ने राज्यों के बीच कर प्रतिस्पर्धा को कम कर एक समान बाजार का विस्तार किया है। जीएसटी के क्रियान्वन के प्रारंभिक चरण में तकनीकी समस्याएं, छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन में कठिनाइयाँ, बहु-दर संरचना संबंधी कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है लेकिन समय के साथ-साथ सुधारात्मक कदम उठाए गए और जीएसटी प्रणाली को और अधिक स्थिर है प्रभावी बनाया गया। इस प्रकार जीएसटी भारत की दीर्घकालीन आर्थिक भारती औद्योगिक विकास राजकोषीय सुधरता का एक महत्वपूर्ण साधन है प्रस्तुत अध्ययन में भारत की आर्थिक वृद्धि में जीएसटी का वर्णनात्मक विश्लेषण उपलब्ध आंकड़ों और साहित्य के आधार पर किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

नीति आयोग (2018) आयोग की रिपोर्ट GST : Transforming India's Indirect Tax System के अनुसार जीएसटी के कारण अंतर राज्य व्यापार में बाधाएं

कम हुई तथा भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। और औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला जो GDP वृद्धि में सहायक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (2019) बैंक द्वारा प्रकाशित बुलेटिन में जीएसटी लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है तथा यह अध्ययन वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अवधि से संबंधित है अध्ययन में बताया गया है कि डिजिटल रिटर्न फाइलिंग प्रणाली और ई-वे बिल व्यवस्था ने कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया तथा कर चोरी में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक स्थिर बना जिससे सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हुआ।

शुभम गर्ग, संगीता मित्तल एवं अमन गर्ग (2025) ने "Investigating the Implications of Goods and Services Tax Revenue on Economic Growth: Empirical Insight from Indian Economy" शीर्षक से अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में GST राजस्व और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध का अनुभवजन्य विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने 2017 से 2024 तक के आंकड़ों का उपयोग किया। अध्ययन में आर्थिक वृद्धि के साथ GST revenue, Foreign Direct Investment (FDI), government expenditure, gross fiscal deficit और inflation जैसे प्रमुख आर्थिक चर को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला कि GST revenue का भारत की आर्थिक वृद्धि पर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में सकारात्मक प्रभाव है।

निकिता सिंघल, शिखा गोयल, दिव्या शर्मा, सपना कुमारी एवं श्वेता नागर (2022) ने "Do Goods and Services Tax Influence the Economic Development? An Empirical Analysis for India" शीर्षक से अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत में GST अपने आर्थिक विकास से संबंधित निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा कर रहा है। अध्ययन में 2017 से 2021 के बीच भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया तथा GST और आर्थिक विकास के संबंध का परीक्षण करने के लिए panel regression analysis का उपयोग किया गया।

3. शोध अंतराल

साहित्य समीक्षा पाया गया की जीएसटी के कर संग्रह और व्यापार प्रभाव पर तो अध्ययन हैं, परंतु भारत की सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धि (GDP वृद्धि, निवेश और राजस्व स्थिरता) पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन सीमित है। इसके अलावा जीएसटी लागू होने के बाद किए गए सुधारों, डिजिटल अनुपालन प्रणालियों और कर संग्रहण के विस्तार का आर्थिक वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर भी विशेष अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में, जहाँ संरचनात्मक सुधारों का प्रभाव धीरे-धीरे प्रकट होता है।

4. अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत की आर्थिक वृद्धि में जीएसटी की भूमिका का अध्ययन करना।

2. जीएसटी के कर संग्रह और औपचारिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करना।

3. जीएसटी से सबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

5. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति है तथा अध्ययन की अवधि 2017-18 से 2023-24 है इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो विभिन्न स्रोतो जैसे जीएसटी परिषद की रिपोर्टें, केंद्रीय बजट दस्तावेज, आरबीआई बुलेटिन, आर्थिक सर्वेक्षण, सीबीआईसी (CBIC) के आधिकारिक आंकड़े, विश्व बैंक, रिसर्च पेपर और नीति आयोग की रिपोर्टें से लिये गये है।

6. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक मापदंड है। जो किसी निश्चित समय अवधि (सामान्यतः एक वर्ष) में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य दर्शाता है। GDP का प्रयोग आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस अध्ययन में GDP को स्थिर कीमतों तथा वर्तमान कीमतों दोनों पर लिया गया है। स्थिर कीमतों पर GDP का उपयोग महँगाई के प्रभाव को हटाकर वास्तविक आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए किया गया है, जबकि वर्तमान कीमतों पर GDP का प्रयोग GST संग्रह, GST-GDP अनुपात हेतु किया गया है। इस प्रकार दोनों मापों का संयुक्त उपयोग अध्ययन को अधिक व्यापक, विश्वसनीय और तर्कसंगत बनाता है।

स्थिर मूल्य पर जीडीपी (वर्ष 2017-18 से 2023-24): (आधार वर्ष 2011-12)

Table-1

वर्ष	GDP (₹ करोड़)	वृद्धि दर
2017-18	₹1,31,44,582	6.8%
2018-19	₹1,39,92,914	6.5%
2019-20	₹1,45,34,641	3.9%

2020-21	₹1,36,94,869	-5.8%
2021-22	₹1,50,21,846	9.7%
2022-23 (FE)	₹1,61,64,913	7.0%
2023-24 (FRE)	₹1,76,50,591	9.1%

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारत की वास्तविक GDP वृद्धि क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत रही, जो स्थिर आर्थिक विस्तार को दर्शाती है। 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण वास्तविक GDP में -5.8 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में से एक थी। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः लगभग 7 व 9.1 प्रतिशत की वृद्धि रहि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के महामारी के प्रभाव से उबरकर स्थिर और टिकाऊ विकास को दर्शाता है। इस प्रकार, स्थिर कीमतों पर GDP भारत की वास्तविक उत्पादन क्षमता और दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

चालू मूल्य मूल्य पर जीडीपी (वर्ष 2017-18 से 2023-24):

Table-2

वर्ष	**GDP (₹ करोड़)**	**वृद्धि दर**
2017-18	₹1,70,90,042	11.0%
2018-19	₹1,88,99,668	10.6%
2019-20	₹2,01,03,593	6.4%
2020-21	₹1,98,54,096	−1.2%
2021-22	₹2,35,97,399	18.9%
2022-23 (FE)	₹2,68,90,473	14.0%
2023-24 (FRE)	₹3,01,22,956	12.0%

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार

वर्तमान कीमतों पर ळक्च् में वास्तविक उत्पादन के साथ-साथ महँगाई के प्रभाव को भी शामिल किया जाता है। तालिका के अनुसार 2017-18 और 2018-19 में GDP वृद्धि क्रमशः 11.0 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत रही, जो तेज आर्थिक गतिविधि और मूल्य स्तर में वृद्धि दोनों को दर्शाती है। तथा 2019-20 में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में यह -1.2 प्रतिशत पर आ गई, जो महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 में यह वृद्धि दर बढ़कर 12% हो गयी। वर्तमान कीमतों पर GDP के आंकड़े सरकार की कर संग्रह क्षमता, GST राजस्व और राजकोषीय स्थिति को समझने में बहुत उपयोगी है।

भारत में जीएसटी संग्रहण (वर्ष 2017-18 से 2023-24):

Table-3

वित्त वर्ष	कुल जीएसटी संग्रहण (₹लाख करोड)
2017–18	7.4
2018–19	11.8
2019–20	12.2
2020–21	11.4
2021–22	14.8
2022–23	18.1
2023–24	20.18

स्रोतः जीएसटी आधिकारिक पोर्टल, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद कर संग्रह में समग्र रूप से निरंतर वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2017-18, जो जीएसटी का प्रथम वर्ष था, में कुल कर संग्रह ₹7.4 लाख करोड़ रहा। जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹20.18 लाख करोड हो गया। प्रारंभिक चरण में यह अपेक्षाकृत कम था क्योंकि कर प्रणाली के क्रियान्वयन और करदाताओं को नई व्यवस्था के अनुरूप ढ़लने में समय लगा। वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह क्रमशः ₹11.8 लाख करोड़ और ₹12.2 लाख करोड़ तक पहुँच गया। लेकिन 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, जिसके फलस्वरूप जीएसटी संग्रह में अस्थायी गिरावट आई और यह ₹11.4 लाख करोड़ रहा। इसके बावजूद, डिजिटल कर प्रणाली और ई-वे बिल जैसे उपायों के कारण कर संग्रह ज्यादा बाधित नहीं हुआ। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण और कर प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। निरंतर वृद्धि यह दर्शाति है कि जीएसटी ने आर्थिक गतिविधियों, राजस्व स्थिरता और भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

7. अर्थव्यवस्था के विस्तार में जीएसटी की भूमिका

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 एवं जीएसटी डैशबोर्ड के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद पंजीकृत करदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की हुई है। वर्ष 2017-18 में जीएसटी लागु होने पर लगभग 65 लाख करदाता पंजीकृत हुये जो वर्ष 2023-24 तक संख्या बढ़कर लगभग 1.42 करोड़ से अधिक हो गईं। करदाताओं की इस वृद्धि से कर आधार में विस्तार हुआ, जिससे सरकार के राजस्व में स्थिरता आई है। साथ ही, औपचारिक क्षेत्र के विस्तार से संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, जीएसटी ने भारत में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।

8. राजस्व स्थिरता में जीएसटी की भूमिका

वस्तु एवं सेवा कर ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए स्थिर और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के कारण कर आधार का विस्तार हुआ जिससे कर संग्रह में निरंतरता और स्थायित्व आया। जीएसटी लागु होने के कारण प्रारंभिक वर्षों में राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि से संरक्षण प्रदान करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की व्यवस्था की गई, जिससे संक्रमण काल में राज्यों की वित्तीय स्थिरता बनी रही। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जीएसटी संग्रह में तीव्र वृद्धि हुई। यह बढ़ता हुआ कर संग्रह अनुपालन में सुधार, डिजिटल कर प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार जीएसटी कर प्रणाली अब परिपक्व, प्रभावी एवं दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता प्रदान करने वाली कर व्यवस्था बन चुकी है।

9. वर्तमान में जीएसटी से संबंधित चुनौतियाँ

1. एक से अधिक दर संरचना: जीएसटी में 0%, 55, 18% और 40% (विलासिता और हानिकारक वस्तुएं) पर जैसी कई कर दरें तथा कुछ वस्तुओं पर उपकर भी हैं। वर्ष 2025 में दर-युक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद बहु-दर संरचना बनी हुई है, जिस कारण वर्गीकरण विवाद और अनुपालन में जटिलता उत्पन्न होती है।

2. लागत समस्या: ई-इनवॉइसिंग के विस्तार से छोटे और मध्यम व्यवसायों पर तकनीकी लागत संबंधी समस्या बनी हुई है।

3. तकनीकी समस्याएँ (पोर्टल और आईटीसी मिलान): जीएसटी पोर्टल में ऑटो-पॉपुलेटेड रिटर्न जैसी सुविधाएँ विकसित हुई हैं, फिर भी जीएसटी रिटर्न, आईटीसी, पोर्टल स्लोडाउन और सिस्टम अपडेट के जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

10. निष्कर्ष

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारत में संरचनात्मक सुधार के रूप में कार्य किया है। आँकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि जीएसटी लागू होने के बाद भारत में कर संग्रह में स्थिर एवं निरंतर वृद्धि हुई है। विशेष रूप से वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जीएसटी संग्रह इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कर अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत हुआ तथा ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और डिजिटल निगरानी जैसे कार्यों ने कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया है और कर चोरी में कमी आई। इसके अलावा, जीएसटी लागू होने से व्यापार लागत में कमी हुई तथा करों के दोहराव की समाप्ति, अंतर-राज्यीय व्यापार बाधाओं में कमी एवं वितरण प्रणाली अधिक कुशल बनी है। तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट से कार्यशील पूँजी की स्थिति सुदृढ़ हुई है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, जीएसटी भारत की आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय सुदृढ़ता के लिए एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिन सुधार के रूप में देखा जा सकता है।

संदर्भ

[1]. Government of India. (2018). Economic Survey 2017–18. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. https://www.indiabudget.gov.in
[2]. Government of India. (2019). Economic Survey 2018–19. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. https://www.indiabudget.gov.in
[3]. Government of India. (2021). Economic Survey 2020–21. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. https://www.indiabudget.gov.in
[4]. Government of India. (2023). Economic Survey 2022–23. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. https://www.indiabudget.gov.in
[5]. Government of India. (2024). Economic Survey 2023–24. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. https://www.indiabudget.gov.in
[6]. Central Board of Indirect Taxes and Customs. (2018–2024). GST revenue collection press releases. Ministry of Finance, Government of India. https://www.cbic.gov.in
[7]. Goods and Services Tax Council. (2023). GST statistics and taxpayer data. Government of India. https://www.gstcouncil.gov.in

[8]. Reserve Bank of India. (2019). GST and its impact on Indian economy. RBI Bulletin. https://www.rbi.org.in
[9]. Reserve Bank of India. (2022). State finances and GST revenue trends. RBI Bulletin. https://www.rbi.org.in
[10]. NITI Aayog. (2018). GST: Transforming India's indirect tax system. Government of India. https://www.niti.gov.in
[11]. World Bank. (2020). India development update: Tax reforms and growth. World Bank Publications. https://www.worldbank.org
[12]. Department for Promotion of Industry and Internal Trade. (2023). FDI statistics. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. https://dpiit.gov.in
[13]. https://www.gst.gov.in/
[14]. Garg, S., Mittal, S., & Garg, A. (2025). Investigating the implications of Goods and Services Tax revenue on economic growth: Empirical insight from Indian economy. Statistics and Public Policy, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/2330443X.2024.24361963
[15]. Singhal, N., Goyal, S., Sharma, D., Kumari, S., & Nagar, S. (2022). Do Goods and Services Tax influence the economic development? An empirical analysis for India. Vision: The Journal of Business Perspective. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/09722629221117196